संख्या 11013/2/88-स्था0(क)
भारत सरकार
कार्मिक,लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7-7-1988

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964- अनुमति देने के लिए समय सीमा ।

मुझे कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 19-4-78 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/17/77-स्था0(क) का हवाला देने का निदेश हुआ है,जिसमें केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम,1964 के कुछ प्रावधानों के संबंध में अनुमति देने अथवा न देने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई थी । मामले की पुनरीक्षा की गई है और यह निर्णय किया गया है कि पहले आदेश का अधिक्रमण करते हुए निम्न समय-सीमा तत्काल प्रभाव से निर्धारित की जाए :-

क्रoसंo	नियम संख्या	किस से संबंधित प्रावधान	अनुमति दिए जाने के लिए समय-सीमा
1.	8(2)	प्रेस अथवा रेडियो से संबंध	30 दिन
	13(4)	उपहार	
	18(2)	चल तथा अचल संपत्ति का लेन-देन	
2.	19(1)	सरकारी कर्मचारी के कार्यों तथा चरित्र का दोषनिवारण	6 सप्ताह
3.	18-क	भारत से बाहर अथवा विदेशियों के साथ अचल संपत्ति का लेन-देन	60 दिन

2. उपर्युक्त समय-सीमा की गणना संगत नियमों के अधीन अनुमति दिए जाने के लिए सरकारी कर्मचारी के अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से की जाएगी । अनुरोध प्राप्त होने पर प्राप्ति की तारीख दर्शाने वाली एक पावती कर्मचारी को दी जाए । ऐसी स्थिति में जहां सक्षम प्राधिकारी संबंधित सरकारी कर्मचारी को ऊपर निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अपने निर्णय से अवगत कराने में असफल रहता है तो संबंधित अधिकारी यह मानने के लिए स्वतंत्र है कि उसे अनुमति दे दी गई है ।

......2/-

3. ये अनुदेश केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने वाले सभी प्राधिकारियों के ध्यान में लाए जाएं और उन्हें यह सुनिश्चित करने की भी सलाह दी जाए कि उपर्युक्त नियमों के अधीन सरकारी कर्मचारियों के सभी अनुरोधों पर शीघ्र कार्रवाई की जाती है ताकि कोई ऐसा अवसर न आए जब सरकारी कर्मचारी को ऐसी मानने का मौका मिले कि उसके मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर अपना निर्णय देने में असफल रहने के कारण अनुमति दे दी गई है ।

अ. जयरामन
(अ0. जयरामन)
निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय तथा विभाग ।

संख्या 11013/2/88-स्था0(क) नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई, 1988

प्रति:-

1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ।
2. संघ लोक सेवा आयोग ।
3. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ।
4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग ।
5. सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ।
6. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय ।
7. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय ।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के सभी अधिकारियों/अनुभागों को प्रति प्रेषित ।

अ. जयरामन
(अ0. जयरामन)
निदेशक